सं./No. 8/4/2011- VS (CRS)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
Tele-fax: 26104012 E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

Dated – 29th December, 2011

To

The Chief Registrar of Births and Deaths
All States/UTS

Sub: Clarification regarding determination of place and date of death of a missing person.

Sir,

Please refer to this office letter no. 1/12/87 – VS (Cord - HP) dated 07.09.2000 which was issued in respect of determination of place and date of death of a missing person, wherein, It was specified that under Section 108 of Indian Evidence Act 1872, a person who is unheard for more than seven years is presumed to be dead and said section does not speak about the date and place of death, the date and place of death of a missing person has to be determined by the competent Court / authority on the basis of oral and documentary evidence produced before the Court. However, now a days, it has came to the notice of this office through various State Governments that the respective Courts are not mentioning the date and place of death of a missing person in its order which create problem in registration of death of the missing person.

2. In view of the above, this issue has been referred to the Union Ministry of Law & justice for their advice. The Ministry has adviced that –

*The earliest date to which the **death can be presumed can only be the date when the suit or claim of that right is filed as** has been held in the matter of Jeshankar vs Bai Divali, reported in (1920) 22 Bom Lr 771. The issue has been made more clear on the point of date of death in the matter reported in AIR 1945 Madras 440 Bhagat vs. LIC, Madras wherein it was observed that in the absence of probable motive of foul play or accident one has to speculate as to the cause of his disappearance, and it could not be presumed that he was dead, on the date of his disappearance and in the absence of proof that he was alive the only conclusion possible is that he was at the time the question arose (date of plaint).*

IndiaCode

In view of the foregoing when the provisions of Section 13(3) of the Act are specific that registration will be on the basis of court order, an entry be made in the relevant record on the basis of court order only and as has been held by the courts the date of death may be mentioned on which plaintiff approached to the Court.

3. In view of the above, you are therefore requested to circulate the contents of this letter to all the district and local level registration authorities to enable them to register the death of a missing person. This office may also be appraised about the action taken in this regard along with the copy of instructions issued to the registration functionaries.

Yours faithfully

(P.A. Mini)
Deputy Registrar General (CRS)

IndiaCode

हिन्दी रूपान्तर

सं.8/4/2011-वीएस-सीआरएस

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग,पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

दूरभाष-26104012,ई-मेल-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 29 दिसम्बर, 2011

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु)
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

IndiaCode

विषय: किसी गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु के स्थान और तारीख के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 07.09.2000 के पत्र सं.1/12/87-वीएस (कोर्ड-एचपी) का संदर्भ लें जो कि किसी गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु के स्थान और तारीख के निर्धारण के संबंध में जारी किया गया था जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में सात वर्ष से अधिक समय से कोई जानकारी नहीं मिली हो उसे मृत मान लिया जाता है, उक्त धारा मृत्यु की तारीख और स्थान के विषय में कुछ नहीं कहती है, किसी गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान का निर्धारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना होता है । तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से इस कार्यालय को पता चला है कि आजकल संबंधित न्यायालय अपने आदेश में किसी गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान का उल्लेख नहीं कर रहे हैं जिससे गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु के पंजीकरण में समस्या उत्पन्न होती है ।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के पास उनकी सलाह के लिए भेजा गया था । मंत्रालय ने सलाह दी है कि -

जैसा कि (1920) 22 बॉम् एलआर 771 में सूचित जैशंकर बनाम बाई दिवाली के मामले में निर्णय किया गया है **वह प्रारभिक तारीख जिसे मृत्यु की तारीख माना जा सकता है केवल वही तारीख हो सकती है जिस तारीख को अधिकार संबंधी वाद अथवा दावा दायर किया गया हो ।** एआईआर 1945 मद्रास 440 में सूचित भगत बनाम एल आई सी, मद्रास मामले में मृत्यु की तारीख के बिन्दु पर इस मामले को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि षडयंत्र के संभाव्य उद्देश्य के अभाव अथवा दुर्घटना का मामला न होने पर किसी की गुमशुदगी के कारण का अनुमान ही लगाया जा सकता है और यह नहीं माना जा सकता है कि अपनी गुमशुदगी की तारीख को वह मर चुका था और उसके जीवित होने के प्रमाण के अभाव में केवल यही एक निष्कर्ष संभव है कि प्रश्न उठने के समय (वाद की तारीख) वह मर चुका था ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए जब इस अधिनियम की धारा 13(3) के प्रावधान इस बात पर विशेष बल देते हैं कि पंजीकरण न्यायालय के आदेश के आधार पर होगा, संबंधित रिकार्ड में केवल न्यायालय के आदेश के आधार पर ही प्रविष्टि की जाए और जैसा कि न्यायालयों ने निर्धारित किया है कि उस तारीख को मृत्यु की तारीख कहा जाए जिस तारीख को वादी ने न्यायालय की शरण ली थी ।

3. अत: उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे इस पत्र की विषयवस्तु को सभी जिला एवं स्थानीय स्तर के पंजीकरण प्राधिकरणों को परिचालित करने का अनुरोध किया जाता है ताकि वे गुमशुदा व्यक्तियों की मृत्यु का पंजीकरण कर सकें । इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाए साथ ही पंजीकरण पदधारियों को जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति भी भेजी जाए ।

भवदीया,

पी.ए.मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

IndiaCode